

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- [Nodalofficerddn@gmail.com](mailto:Nodalofficerddn@gmail.com)

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- **2229** FP/UK/ROAD/47083/2020 दिनांक: देहरादून **27** फरवरी, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक ,  
भारत सरकार पर्यावरण, वन  
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद- पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में खिरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 29.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रकरण में दिनांक 29.12.2020 को ऑनलाईन माध्यम से लगाई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्र०सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	The list of villages proposed to be benefited may be submitted/uploaded by the state govt.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि लाभान्वित ग्रामों की सूची अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गयी है।
2	The location of the benefited villages is also not marked in KML file State govt. may mark the location of the all ten villages proposed to be benefited and the location of the essential services viz. school, hospital etc. may be marked in the KML file and uploaded at para C (ii) (b) in part-I online.	लाभान्वित 10 ग्रामों की स्थिति के०एम०एल० फाईल में अंकित कर दी गयी है तथा सड़क समरेखन में पड़ने वाले अस्पताल व स्कूल भी के०एम०एल० फाईल में अंकित कर के०एम०एल० फाईल para C (ii) (b) in part-I में ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
3	State govt. may submit the geologist report and aerial distance certificate.	भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट एवं हवाई दूरी का प्रमाण पत्र अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिये गये है।
4	It is seen that the muck dumping is shown 12 points in KML file as well as in muck disposal plan but in the component wise breakup as para-B 2.4 only detail of 4 points is provided in non forest land, which does not appear to be correct. State govt. may review the same and fill the correct information regarding component wise breakup at para- B 2.4 in part-I online.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण हेतु 12 स्थान चयनित है, जिन्हें के०एम०एल० फाईल में अंकित कर दिया गया है तथा कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में भी 12 स्थान चयनित किये गये है component wise breakup at para- B 2.4 in part I ऑन लाईन




		अपलोड कर दिये गये है।
5	As per The DSS analysis 1 ha. area out of 15.57 hac. area found in MDF in two patches. proposed in civil and soyam land DFO may inspect the area and submit side inspection report or a certificate mentioning of 1000 trees per ha. can be accomodated or not. It not. Then the plantation scheme as per guide lines dated 08-11-2017 may be submitted.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ की स्थल निरीक्षण आख्या ऑनलाईन पार्ट-II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

  
(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या०-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड,

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या०-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड,